NIA (संशोधन) विधेयक, 2019 में क्या बदलाव हुए?

लेखक - उदित मिश्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

17 जुलाई, 2019

"यह अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के एफबीआई की तर्ज पर एनआईए को देश की एकमात्र संघीय एजेंसी बनाता है और यह सीबीआई से भी अधिक शक्तिशाली है।"

बीते सोमवार को लोकसभा में एनआईए अधिनियम संशोधन विधेयक को पारित किया गया, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है और भारत की सीमाओं से परे इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है। हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने और भारत को पुलिस राज्य में बदलने का आरोप लगाते हुए इस विधेयक पर काफी देर तक बहस की।

गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया कि अधिनियम का दुरुपयोग कभी नहीं होगा और इसका उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा, भले ही आतंकवादी किसी भी धर्म का हो।

एनआईए अधिनियम

एनआईए अधिनियम, 2008, भारत की प्रमुख समकक्ष एजेंसी के कामकाज को नियंत्रित करता है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मद्देनजर तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा इसे पेश किया गया था और इसे बहुत कम विरोध के साथ पारित कर दिया गया था।

यह अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के एफबीआई की तर्ज पर एनआईए को देश की एकमात्र संघीय एजेंसी बनाता है और यह सीबीआई से भी अधिक शक्तिशाली है। सीबीआई को किसी राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ किसी मामले की जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यदि कोई अपराध किसी राज्य में किया जाता है, तो सीबीआई को उस राज्य की सरकार या अदालत द्वारा जांच के लिए बुलाने का इंतजार करना पड़ता है।

दूसरी ओर, एनआईए अधिनियम, एनआईए को भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधि होने पर मुकदमा करने और सरकार से अनुमति के बिना किसी भी राज्य में प्रवेश करने और लोगों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान करता है।

हालांकि, एनआईए केवल उन मामलों की जांच कर सकती है जो अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जो देश की सुरक्षा और अखंडता से काफी हद तक संबंधित हों। इसका मतलब है कि एनआईए हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच नहीं कर सकती है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आते हैं।

सीमाओं से परे

नया विधेयक एनआईए अधिनियम में तीन व्यापक परिवर्तनों को शामिल करता है। यह एनआईए को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है; मूल अधिनियम में आठ अपराधों की सूची में चार अनुसूचित अपराध को जोड़ता है; और सरकार को एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के रूप में सत्र अदालतों को नामित करने की शक्तियां देता है।

एनआईए को अतिरिक्त क्षेत्राधिकार देने के संदर्भ में, यह विधेयक एजेंसी को कोई मामला दर्ज करने की अनुमति देता है जब विदेश में रह रहे भारतीय या विदेश में स्थित भारत की संपत्ति आतंकवादियों के हमले की चपेट में आ जाती है।

एनआईए के पूर्व विशेष निदेशक एन. आर. वासन, जिन्होंने विधेयक के लिए प्रस्ताव तैयार किया था, ने कहा कि "सभी प्रमुख देशों में उनकी संबंधित एजेंसियों के लिए यह प्रावधान है। अमेरिका 26/11 हमलों में डेविड कोलमैन हेडली पर मुकदमा चलाने में सक्षम

था क्योंकि उनके पास किसी आतंकवादी हमले में मामला दर्ज करने की शक्तियां मौजूद थीं, जो एक विदेशी देश में हुई थीं। उनके नागरिक हमले में मारे गए थे और इसलिए उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। वर्तमान में एनआईए के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं।"

इसे एक उदाहरण से समझते हैं:- वर्ष 2012 में केरल के तट से दूर इतालवी मरीन्स द्वारा एक भारतीय मछुआरे की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद एनआईए चर्चा में आ गयी थी। जिसमें अभियुक्तों ने तर्क दिया कि अपराध अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीक्षेत्र में हुआ था और यह एनआईए का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब इस स्थिति में भारत को यह साबित करना होता कि यह अपराध भारतीय जलक्षेत्र में हुआ था, तभी जाकर वह इस मामले में आगे बढ़ सकता था।

अब यदि कोई भारतीय दूतावास विदेश में हमले की चपेट में आता है या यदि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय संचार के केबल को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नए प्रावधान के माध्यम से एनआईए इस तरह के मामलों को दर्ज करने में सक्षम हो पाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों का परिणाम हमेशा इस बात पर निर्भर करता रहेगा कि भारत का उस देश के साथ कितना राजनयिक लाभ है क्योंकि यह बिल सिर्फ प्रक्रिया को शुरू करने का अधिकार देता है, बाकि फैसला तो सरकार को ही लेना है।

आईपीसी में अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रावधान हैं, लेकिन इसकी पहुँच विदेशों में अपराध करने वाले भारतीयों तक नहीं है।

विशेष अदालतें, नए अपराध

इससे पहले, किसी भी राज्य में विशेष अदालतें स्थापित करने में छह से नौ महीने लग जाते थे क्योंकि इसके लिए पहले एक प्रस्ताव बनाना पड़ता था, उच्च न्यायालयों की सहमति प्राप्त करनी पड़ती थी, एक न्यायाधीश को नामित किया जाना पड़ता था, फिर जाकर एक अदालत की स्थापना हो पाती थी। मौजूदा सत्र अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है, ताकि ट्रायल जल्द से जल्द शुरू हो सके।

एनआईए अधिनियम अनुसूची में जोड़े गए अपराधों में मानव तस्करी (धारा-370, आईपीसी की धारा-370, 1860) हैं; प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री (शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-25 [1AA]); साइबर अपराध (आईटी अधिनियम-2000 की धारा 66F); विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 2000 शामिल हैं। अब तक, एनआईए इन धाराओं को किसी अभियुक्त पर केवल तभी लागू कर सकती है जब मूल अपराध इसकी अनुसूची का हिस्सा हो।

अब, यह इस अधिनियम द्वारा स्वतंत्र रूप से एक कानून के तहत लोगों पर मुकदमा चला सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अभियुक्त पर UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है तो उस अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट की धाराएं लग सकती हैं, लेकिन वर्तमान में NIA अभियुक्त पर अकेले आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला सकता है।

जो नहीं बदला है

एनआईए विधेयक के सभी सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के तहत विशेष प्रावधान के रूप में जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया गया था। एनआईए का मानना है कि उस राज्य में किए गए अपराधों के लिए कश्मीर के लोगों पर मुकदमा चलाने के दौरान (कथित आतंकी फंडिंग और संगठित पत्थरबाजी की जांच करने के दौरान) यह क्षेत्राधिकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है।

रणबीर सीआरपीसी (RCrPC), सीआरपीसी (CrPC) से थोड़ा भिन्न है। सीआरपीसी की धारा-161 के तहत दर्ज एक बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। RCrPC के तहत, यह है। इस तरह के प्रक्रियात्मक मतभेद अदालत में अभियोजन मामले को प्रभावित कर सकते हैं।

CS World
Committed To Excellence

NIA संशोधन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक-2019 (NIA Bill-2019) पारित हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा।
- प्रस्ताव के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि इसके विरुद्ध केवल 06 वोट पड़े हैं। विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया।
- विधेयक पर हुई चर्चा का निचले सदन में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है।
- गौरतलब हो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है।
- गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पोटा कानून को वोट बैंक से बचाने के लिए भंग किया गया था।
- पोटा से देश को आतंकवाद से बचाया जाता था, इससे आतंकवादियों के अंदर भय था, देश की सीमाओं की रक्षा होती थी। हालांकि, इस कानून को साल 2004 में आते ही भंग कर दिया गया था।

क्या है इस विधेयक में?

- यह विधेयक मौजूदा संशोधन के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की अनुसूची-4 में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसके आतंक से संबंध होने का शक हो।
- संशोधन एनआईए को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत देगा।
- यह विधेयक एनआईए अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है और एक अनुसूची (अनुसूचित अपराधों) में सूचीबद्ध अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी प्रदान करता है।
- यह अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 जैसे अधिनियमों के तहत अपराध शामिल हैं।
- विधेयक के अनुसार, एनआईए के पास अब निम्नलिखित अपराधों की जांच करने की शक्ति होगी:- (i) मानव तस्करी (ii) जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध (iii) निषिद्ध हथियारों का निर्माण या बिक्री (iv) साइबर आतंकवाद और (v) विस्फोटक पदार्थ अधि नियम, 1908 के तहत अपराध।

इसका क्षेत्राधिकार

- एनआईए के अधिकारियों के पास पूरे भारत में इस तरह के अपराधों की जांच के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियां हैं।
- इसके अलावा, एनआईए के अधिकारियों के पास भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन आते हैं, की जांच करने की शक्तियां होंगी। नई दिल्ली में विशेष अदालत के पास इन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा।
- विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है।
- हालांकि, केंद्र सरकार को इसे विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होगी, जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है।
- जब किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किए गए, तो मामलों को वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा न्यायालयों में वितरित किया जाएगा।
- राज्य सरकारें अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

एनआईए के बारे में

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है।
- साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद एनआईए का गठन किया गया था।
- यह एजेंसी केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- यह एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने हेतु सशक्त है।
- यह एजेंसी 31 दिसम्बर, 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक-2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. एनआईए, 2008 में मुंबई हमले के बाद गठित एक संघीय जाँच एजेंसी है।
   2. इसे किसी राज्य में आतंकवाद संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए राज्यों से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **In the context of National Investigation Agency (NIA), consider the following statements-**

   1. NIA is a federal investigation agency established after 2008 Mumbai attack.
   2. It does not need the approval of the state to tackle the terrorism related activities in any state.

   Which of the above statement is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: संघीय जाँच एजेंसी के रूप में गठित एनआईए को और प्रभावी बनाने के लिए, एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों की चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Discuss the power given to NIA, established as a federal investigating agency, to make it more impactful through NIA (Amendment) Bill, 2019. **(250 Words)**

नोट : 16 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed To Excell